रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 4, 2014/फाल्गुन 13, 1935
No. 74] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 4, 2014/PHALGUNA 13, 1935

IndiaCode

विदेश मंत्रालय

(नालंदा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2014

सं. एस/321/23/2011.— नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 (2010 का 39) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा चांसलर की स्वीकृति से शासी बोर्ड एतद्द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय संविधि, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

2. नालंदा विश्वविद्यालय संविधि, 2012 (जिसे इसके बाद मुख्य संविधि, कहा गया है,) की संविधि 6 में खंड (4), के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4) शासी बोर्ड अध्यक्ष नामित करेगा तथा अध्यक्ष कुलाधिपति के साथ परामर्श करके अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगा।"

3. मुख्य संविधियों में संविधि 6 के बाद निम्नलिखित संविधि शामिल की जाएगी, अर्थात्:—

"6क धर्मदाय समिति- (1) विश्वविद्यालय के धर्मदायी कोष का संसाधन जुटाने के लिए एक धर्मदाय समिति गठित की जाएगी। यह समिति सरकारी निजी सहभागिता को बढ़ावा देने में भी शासी बोर्ड की सहायता करेगी तथा ऐसी सरकारी निजी सहभागिता में लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संस्थानों, संगठनों तथा व्यक्तियों के साथ चर्चा करेगी।

(2) यह समिति शासी बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाली अन्य भूमिकाओं तथा कार्यों को निष्पादित करेगी।

(3) समिति का अध्यक्ष शासी बोर्ड के सभी विचार विमर्शों में स्थायी रूप से आमंत्रित व्यक्ति होगा।

(4) शासी बोर्ड अध्यक्ष नामित करेगा तथा अध्यक्ष कुलाधिपति के परामर्श से अन्य सदस्य नामित करेगा।

डॉ. अनुपम रे, संयुक्त सचिव (नालंदा)

[विज्ञापन III/4/असा./191-डी/13]

टिप्पण :—(1) मुख्य संविधियाँ भारत के राजपत्र (साप्ताहिक), भाग III, खंड 4 में दिनांक 31 मार्च, 6- अप्रैल 2012 का अधिसूचना संख्या एस/321/23/2011 के माध्यम से प्रकाशित की गई थी ।

(2) भारत के राजपत्र असाधारण भाग III, खंड 4 में दिनांक 7 फरवरी, 2014 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एस/321/23/2011 के माध्यम मुख्य संविधियों में पिछला संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(Nalanda Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2014

No. S/321 /23/2011·—In exercise of the powers conferred by section 28 of the Nalanda University Act, 2010 (39 of 2010) and with the assent of the Visitor, the Governing Board hereby makes the following amendment to the Nalanda University Statutes, 2012, namely:--

2. In the Nalanda University Statutes, 2012 (hereinafter referred to as principal statutes, in statute 6, for clause (4), the following clause shall be substituted, namely:--

"(4) The Governing Board shall nominate the Chairperson and other members shall be appointed by the Chairperson in consultation with the Chancellor."

3. In the principal statues, after statute 6, the following statute shall be inserted, namely:--

"6A. Endowments Committee.-- (1) An Endowments Committee shall be constituted to raise resources for the Endowments Fund of the University. It shall also assist the Governing Board in furtherance of Public Private Partnership and shall interact with institutions, organisations and individuals for achieving the aims and objectives in such Public Private Partnership programmes.

(2) The Committee shall perform such other roles and functions as the Governing Board may determine from time to time.

(3) The Chairperson of the Committee shall be a permanent invitee to all the deliberations of the Governing Board.

(4) The Governing Board shall nominate the Chairperson and other members shall be appointed by the Chairperson in consultation with the Chancellor."

Dr. ANUPAM RAY, Jt. Secy. (Nalanda)
[ADVT. III/4/Exty./191-D/13]

Note : (1) The principal Statutes were published in the Gazette of India (weekly), Part III, Section 4, dated the March 31-April 6, 2012 *vide* notification No. S/321/23/2011.

(2) The principal Statutes were last amended *vide* notification No. S/321/23/2011 published in the Gazette of India Extraordinary, Part III, Section 4, dated February 7, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.